"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 309] रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 जुलाई 2013—आषाढ़ 26, शक 1935

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 जुलाई, 2013 (आषाढ़ 26, 1935)

क्रमांक-8858/वि.स./विधान/2013.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 29 सन् 2013) जो बुधवार, दिनांक 17 जुलाई, 2013 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 29 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2013

छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्रमांक 10 सन् 1949) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्र. 10 सन् 1949), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 के खंड (घ-एक) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(घ-दो) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची."

धारा 3 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) धारा 3-अ में विनिर्दिष्ट अपवादों के अध्यधीन रहते हुए,—

(क) प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी या फ्रेन्चाईजी पूर्ववर्ती माहों के दौरान उपभोक्ताओं को बेची गई या प्रदाय की गई विद्युत की इकाईयों पर अनुसूची के भाग-क में विनिर्दिष्ट दरों पर संगणित किये गये शुल्क का विहित समय तथा रीति में राज्य शासन को प्रत्येक माह संदाय करेगा.

(ख) राज्य के बाहर से खुली पहुंच के माध्यम से अभिप्राप्त विद्युत का उपभोग करने वाला प्रत्येक उपभोक्ता, उसके द्वारा पूर्ववर्ती माहों के दौरान उपभोग की गई विद्युत की इकाईयों पर अनुसूची के भाग-ख में विनिर्दिष्ट दरों पर संगणित किये गये शुल्क का विहित समय तथा रीति में राज्य शासन को प्रत्येक माह संदाय करेगा.

(ग) प्रत्येक केप्टिव उत्पादन संयंत्र, उत्पादक कंपनी और उत्पादक, पूर्ववर्ती माहों के दौरान उपभोक्ताओं को बेची गई या प्रदाय की गई विद्युत की इकाईयों या उसके स्वयं के द्वारा उपभोग अथवा उपयोग की गई, यथास्थिति या संयंत्र के सहायक उपभोग या उसके कर्मचारियों को सीधे प्रदाय की गई विद्युत की इकाईयों पर अनुसूची के भाग-ग में विनिर्दिष्ट दरों पर संगणित किये गये शुल्क का विहित समय तथा रीति में राज्य शासन को प्रत्येक माह संदाय करेंगे.

स्पष्टीकरण—

1. "केप्टिव उत्पादक संयंत्र" का वही अर्थ होगा, जो विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 2 की उप-धारा (8) में है.

2. "वितरण अनुज्ञप्तिधारी" का वही अर्थ होगा, जो विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003) की धारा 2 की उप-धारा (17) में है.

3. "फ्रेन्चाईजी (विशेषाधिकार प्राप्त)" का वही अर्थ होगा, जो विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003) की धारा 2 की उप-धारा (27) में है.

4. "उत्पादन कंपनी" का वही अर्थ होगा, जो विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003) की धारा 2 की उप-धारा (28) में है.

5. "खुली पहुंच" का वही अर्थ होगा, जो विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003) की धारा 2 की उप-धारा (47) में है."

धारा 3-अ में संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 3-अ के खंड (सात) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(आठ) किसी विद्युत उत्पादन कंपनी, जिसमें राज्य शासन की कम से कम 26 प्रतिशत अंशधारिता हो, द्वारा उपभोग या उपयोग की गई हो अथवा राज्य शासन के स्वामित्व की वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उसके द्वारा बेची या प्रदाय की गई हो.

स्पष्टीकरण—

1. इस धारा के प्रयोजन हेतु सरकारी कंपनी द्वारा उसकी सहायक कंपनी में अंशधारिता राज्य शासन की अंशधारिता मानी जाएगी.

2. "सरकारी कंपनी" का वही अर्थ होगा, जो विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 2 की उप-धारा (31) में है."

नई धारा 3-स का जोड़ा जाना.

5. मूल अधिनियम की धारा 3-ब के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"3-स. **अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति.—**

(1) राज्य शासन, राजपत्र में अधिसूचना जारी कर अनुसूची में संशोधन कर सकेगा.

(2) उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, जिसका प्रभाव किसी उपभोक्ता द्वारा देय विद्युत शुल्क में वृद्धि करता हो, निर्मित किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में कुल 30 दिवस की अवधि के लिए हो, जो एक ही सत्र में या दो या अधिक उत्तरवर्ती सत्रों में पूरी हो सकती हो, रखी जायेगी, और यदि, उस सत्र जिसमें उक्त अवधि समाप्त हो या पूर्वोक्त उत्तरवर्ती सत्र के अवसान होने के पूर्व सदन यदि किसी प्रकार का उपांतरण करने की सहमति देता है अथवा यदि सदन सहमत होता है कि अधिसूचना, जैसी भी स्थिति हो, को जारी नहीं की जाना चाहिए, तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, अधिसूचना, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगी या निष्प्रभावी होगी, तथापि ऐसा कोई उपांतरण या विलोपन, अधिसूचना, के अधीन पूर्व में किये गये किसी कार्य की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा."

अनुसूची का जोड़ा जाना.

6. मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"अनुसूची

(धारा 3 देखिये)

शुल्क की दरें

भाग-क

[धारा 3 (1) (अ) देखिये]

स. क्र.	उपभोक्ता की श्रेणी	उपभोग किया गया विद्युत (यूनिट में)	टैरिफ आदेश में अधिसूचित ऊर्जा प्रभारों के प्रतिशत में शुल्क की दरें
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	घरेलू उपभोक्ता	उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर	08 प्रतिशत

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	गैर घरेलू उपभोक्ता	उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर	12 प्रतिशत
3.	खानें (सीमेंट उद्योगों की कैप्टिव खानों से भिन्न)	उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर	40 प्रतिशत
4.	सीमेंट उद्योग (जिसके अन्तर्गत उसकी कैप्टिव खानें भी हैं)	उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर	15 प्रतिशत
5.	25 अश्व शक्ति तक के एल टी उद्योग.	उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर	03 प्रतिशत
6.	25 अश्व शक्ति से ऊपर किन्तु 75 अश्व शक्ति तक के एल टी उद्योग.	उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर	04 प्रतिशत
7.	75 अश्व शक्ति से ऊपर किन्तु 100 अश्व शक्ति तक के एल टी उद्योग.	उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर	05 प्रतिशत
8.	100 अश्व शक्ति से ऊपर किन्तु 150 अश्व शक्ति तक के एल टी उद्योग.	उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर	06 प्रतिशत
9.	150 अश्व शक्ति से अधिक के अन्य एल टी उद्योग, जो ऊपर सम्मिलित नहीं है और 150 अश्व शक्ति तक के स्टोन क्रशर.	उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर	10 प्रतिशत
10.	15000 अश्व शक्ति तक के छोटे इस्पात संयंत्र, रोलिंग मिल तथा स्पंज आयरन संयंत्र.	उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर	06 प्रतिशत
11.	पावर लूम, आटा चक्कियां, आइल एक्सपेलर, थ्रेशर एवं कृषि प्रसंस्करण के उपयोग में आने वाली वैसी ही अन्य मशीनरी.	उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर	03 प्रतिशत
12.	टैक्सटाईल मिलें, वीविंग मिलें तथा स्पीनिंग मिलें.	उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर	10 प्रतिशत
13.	एच. टी. उद्योग सरल क्रमांक 10 को छोड़कर तथा गैर औद्योगिक जिसमें शापिंग माल सम्मिलित हैं. 150 अश्व शक्ति से ऊपर भार वाले तथा खानों के बाहर एवं उससे लगे हुए स्टोन क्रशर.	उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर	20 प्रतिशत

(1)	(2)	(3)	(4)
14.	ऐसे उपभोक्ता, जो उपरोक्त श्रेणीयों में से किसी भी श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित प्रयोजनों के लिये अपने स्वयं के उपभोग के लिये ऊर्जा का उत्पादन करते हैं.	स्वयं के उपभोग की संपूर्ण यूनिटों पर.	शुल्क की दर की संगणना इस प्रकार की जायेगी जैसे ऊर्जा का प्रदाय राज्य की वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया है.
15.	किसी ऐसे प्रयोजन के लिये उपभोग की जाने, बेची गई या प्रदाय की गई विद्युत ऊर्जा, चाहे वह, यथास्थिति, वितरक या विद्युत उत्पादक की सहमति के बिना, पूर्णतः या अंशतः उपयोग में लाई जाती है.	यथास्थिति बेची गई या प्रदाय की गई या उपभोग की गई संपूर्ण यूनिटों पर.	अनुसूची की उच्चतम दर अनुसार.

भाग-ख

[धारा 3 (1) (ब) देखिये]

स. क्र.	उपभोक्ता की श्रेणी	उपभोग किया गया विद्युत (यूनिट में)	टैरिफ आदेश में अधिसूचित ऊर्जा प्रभारों के प्रतिशत में शुल्क की दरें
(1)	(2)	(3)	(4)
16.	राज्य के बाहर से खुली पहुंच के माध्यम से अभिप्राप्त विद्युत के उपभोग के लिये.	खुली पहुंच से अभिप्राप्त संपूर्ण यूनिटों पर.	शुल्क की दरें इस प्रकार संगणित की जायेंगी, जैसे कि विद्युत का प्रदाय वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया हो.

भाग-ग

[धारा 3 (1) (स) देखिये]

स. क्र.	उपभोक्ता की श्रेणी	उपभोग किया गया विद्युत (यूनिट में)	विद्युत शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
17.	उत्पादन कंपनी, केप्टिव उत्पादक संयंत्र तथा उत्पादक द्वारा राज्य के स्वामित्व वाले वितरण तथा व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी को बेचा गया या प्रदाय किया गया विद्युत.		5 पैसे प्रति यूनिट
18.	उत्पादन कंपनी, केप्टिव उत्पादक संयंत्र तथा उत्पादक द्वारा राज्य में किसी अन्य उपभोक्ता को बेचा गया या प्रदाय किया गया विद्युत.		शुल्क की दरें उसी प्रकार होंगी, जैसे कि विद्युत का प्रदाय वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को किया गया हो.

(1)	(2)	(3)	(4)
19.	उत्पादन कंपनी, केप्टिव उत्पादक संयंत्र तथा उत्पादक द्वारा उपभोग किये गये तथा उनके सहायक उपभोग के लिये तथा उनके स्वयं के उपभोग हेतु विद्युत के लिये.		टैरिफ का 15 प्रतिशत, जो कि लागू होता, यदि विद्युत का प्रदाय वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया होता.

टीप—

1. "बिलिंग माह या माह" से अभिप्रेत है बिलिंग के प्रयोजनार्थ प्रत्येक माह बिलिंग के प्रकरण में दो क्रमवर्ती मीटरवाचन के मध्य की लगभग 30 दिवस की अवधि.

2. "खान" का वही अर्थ होगा जो खान अधिनियम 1952 (क्रमांक 36 सन् 1952) की धारा 2 के खंड (ञ) में है और उसके अंतर्गत परिसर या परिसर तथा उससे लगे हुए स्थान में स्थित वे मशीन भी शामिल हैं, जिनका उपयोग खनिज को चूरा करने, उसका प्रसंस्करण करने, उपचार करने या परिवहन करने में होता है.

3. "टैरिफ" से अभिप्रेत है ऊर्जा की दर जो विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 86 के अंतर्गत राज्य विद्युत नियामक आयोग के द्वारा अवधारित किया जाता है.

4. विद्युत शुल्क की संगणना एक मास में टैरिफ की वास्तविक प्रतिशतता के आधार पर की जायेगी और 50 पैसे या उसके अधिक के किसी भी भाग को उसके निकटतम उच्चतर रुपयों तक पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा."

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्र. 10 सन् 1949) में राज्य के उपभोक्ता द्वारा देय शुल्क का प्रावधान है तथा अन्य वितरक को विद्युत के थोक विक्रय के लिये वितरकों पर शुल्क अधिरोपित करने का भी प्रावधान है.

यह कि, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा टैरिफ (प्रशुल्क) निर्धारित किया जाता है, विद्युत अपीलीय अधिकरण ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग को निर्देश जारी किया है कि यदि कोयले या ईंधन के प्रदाय की दर में कोई परिवर्तन होता है, तो वित्तीय वर्ष के प्रत्येक तिमाही में फ्यूल कास्ट एडजेस्टमेंट का प्रवर्तन करे जिससे विद्युत उत्पादन की दर में वृद्धि हेतु अभिदाय (योगदान) हो सके. ऐसी परिस्थितियों में, अधिसूचित टैरिफ के ऊर्जा प्रभारों की दर में, वित्तीय वर्ष के प्रत्येक तिमाही में वृद्धि हो रही है.

वर्तमान में लागू विद्युत शुल्क, ऊर्जा प्रभारों के प्रतिशत के अनुसार, 1996 से 1997 की अवधि में अधिसूचित की गई तथा उस अवधि के दौरान ऊर्जा प्रभार बहुत कम थे. ऊर्जा प्रभारों में मौलिक वृद्धि के लिये टैरिफ नीति में परिवर्तन के कारण विद्युत शुल्क के रूप में उपभोक्ता द्वारा देय राशि में भी अतिरिक्त वृद्धि हुई है.

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के पुनर्गठन के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्यादित, वितरक के रूप में परिभाषित है तथा इसके स्वयं के सहायक उपभोग पर साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य वितरण कम्पनी मर्यादित को इसके द्वारा विक्रय किये गये विद्युत युनिटों पर भी विद्युत शुल्क भुगतान करना अपेक्षित है.

उपरोक्त परिस्थितियों में, यह आवश्यक हो गया है कि नियमित अंतरालों में विद्युत शुल्क की दरों का अनुपातिकरण किया जाए तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित को विक्रय किये गये थोक विद्युत पर देय विद्युत शुल्क के भुगतान से छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्यादित को छूट प्रदान किया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को विद्युत बिल में पर्याप्त रियायत मिल सके.

उपरोक्त उल्लिखित उद्देश्यों के प्राप्ति के लिये, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्रमांक 10 सन् 1949) का और संशोधन करना आवश्यक है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
दिनांक 15 जुलाई, 2013

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

उपाबंध

छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम 1949 (क्रमांक 10 सन् 1949) की धारा 2, धारा 3 (1), धारा 3-अ, धारा 3 ख, धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 8 व धारा 9 का सुसंगत उद्धरण—

धारा-2 परिभाषाएं.

1. **परिभाषा**— इस अधिनियम में जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा असंगत न हो;

(क) "उपभोक्ता" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जो किसी विद्युत ऊर्जा के वितरक या किसी उत्पादक द्वारा बेची गई या प्रदाय की गई ऊर्जा प्राप्त करता है और उसमें सम्मिलित है, ऐसा कोई व्यक्ति, जो अग्रेत्तर वितरण हेतु थोक में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करता है;

(क-i) "विद्युत ऊर्जा का वितरक" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति या कोई स्थानीय प्राधिकारी, जो प्रमुख या अभिकर्ता के रूप में भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (क्रमांक 9 सन् 1910) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति के अंतर्गत विद्युत उपक्रम को संचालित करने का व्यापार करता है, और उसमें सम्मिलित है—

(i) कोई सरकारी विभाग या विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (क्र. 54 सन् 1948) की धारा-5 के अधीन गठित राज्य विद्युत बोर्ड, जो विद्युत उपक्रम का संचालन कर रहा हो; और

(ii) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम या किसी भी नाम से अभिहित अन्य संगठन जिसे किसी केन्द्र या राज्य के तत्समय प्रवृत्त अधिनियम के अधीन समान प्रकार के उद्देश्य से गठित किया गया हो

छत्तीसगढ़ में, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के अंतर्गत किसी अनुज्ञप्ति या प्रदत्त स्वीकृति, के अधीन विद्युत उपक्रम को संचालित करने वाला और उसमें सम्मिलित है कोई सरकारी विभाग या भारतीय विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अधीन गठित प्रांतीय विद्युत बोर्ड,

(ग) "विद्युत" उपक्रम से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के किसी क्षेत्र में विद्युत प्रदाय करने के व्यापार में संलग्न कोई उपक्रम, और उसमें सम्मिलित है कोई ऐसा उपक्रम, जो विद्युत ऊर्जा के किसी अन्य वितरक को थोक में विद्युत ऊर्जा के प्रदाय के व्यापार में संलग्न है;"

(घ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है,

(घ-i) "उत्पादक" से अभिप्रेत है, उत्पादक के पंजीयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाये जा सकने वाले उन नियमों के अध्यधीन, कोई व्यक्ति जो 100 वोल्ट से अधिक वोल्ट पर ऊर्जा का उत्पादन करता है और किराये के जनरेटर से उत्पादन की दशा में, उस जनरेटर के स्वामी को ऐसा उत्पादक समझा जायेगा;

(ङ) कोई अभिव्यक्ति जिसका उपयोग किया गया है लेकिन जिसे अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है और विद्युत अधिनियम, 1910 में परिभाषित किया गया है, उसका वही अर्थ होगा जो उसे उस अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है.

धारा-3 (1) विद्युत शक्ति के विक्रय या उपभोग पर शुल्क का उदग्रहण.

2. धारा-3 (1) में विनिर्दिष्ट अपवादों के अध्यधीन रहते हुए, विद्युत शक्ति का प्रत्येक वितरक तथा प्रत्येक उत्पादक उस विद्युत शक्ति के, जो पूर्ववर्ती मास के दौरान किसी उपभोक्ता को बेची गई हो या प्रदाय की गई हो या उसके स्वयं के द्वारा अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए या अपनी नगरी या कालोनी के प्रयोजनों के लिए उपभुक्त की गई हो, यूनिटों पर ऐसे शुल्क का, जिसकी संगणना नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट दरों से की गई हो, राज्य सरकार को संदाय विहित समय पर तथा विहित रीति में प्रतिमास करेगा :—

सारणी

शुल्क की दरें

भाग-क

विद्युत शक्ति के प्रतियूनिट के लिए 2 पैसे.

विद्युत शक्ति के किसी उत्पादक या वितरक द्वारा विद्युत शक्ति की किसी अन्य वितरण को थोक में बेची गई या प्रदाय की गई विद्युत शक्ति, उस विद्युत शक्ति को अपवर्जित करते हुए जो उसकी नगरी या कालोनी के लिए प्रदाय की गई हो,

भाग-ख

नीचे दर्शित प्रयोजनों के लिए बेची गई, प्रदाय की गई या उपभुक्त की गई विद्युत शक्ति—

अनुक्रमांक	प्रयोजन	प्रतियूनिट विद्युत टैरिफ की प्रतिशतता के रूप में शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
(1)	लो टेंशन टैरिफ पर घरेलू उपयोग के लिए	
	(एक) 100 यूनिट तक	14
	(दो) 100 यूनिट से अधिक 200 यूनिट तक	15
	(तीन) 200 यूनिट से अधिक	23
(2)	लो टेंशन टैरिफ पर गैर घरेलू उपयोग के लिए	
	(एक) 200 यूनिट तक	11
	(दो) 200 यूमिट से अधिक	11.5
(3)	खानें [सीमेंट उद्योग की बद्ध खानों (केप्टिव माईन्स) से भिन्न खान]	40
(4)	सीमेंट उद्योग (जिसके अंतर्गत उसकी बद्ध खानें भी हैं)	10.5

(1)	(2)	(3)
(5)	उपर्युक्त प्रवर्गों के अंतर्गत न आने वाले अन्य उद्योगों के लिए—	
	(क) लो टेंशन टैरिफ पर विद्युत प्राप्त करने वाले उद्योग,	
	(एक) 25 एचपी तक	3
	(दो) 25 एचपी से अधिक 75 एचपी तक	4
	(तीन) 75 एचपी से अधिक 100 एचपी तक	3.5
	(चार) 100 एचपी से अधिक 150 एचपी तक	3
	(ख) अन्य उद्योग	8
(6)	ऐसे उद्योगेतर प्रयोजनों के लिए जो उपर्युक्त प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है,	15
(7)	ऐसे उपभोक्ताओं के लिए जो कि उपर्युक्त प्रवर्गों में से किसी भी प्रवर्गों के अंतर्गत सम्मिलित प्रयोजनों के लिए अपने स्वयं के उपभोग के लिए ऊर्जा का उत्पादन करते हैं शुल्क की दर की संगणना इस प्रकार की जाएगी की मानो की ऊर्जा का प्रदाय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा किया गया है.	

परंतुक यदि किसी एक प्रयोजन के लिए उपभुक्त की जाने के हेतु बेची गई प्रदाय की गई विद्युत शक्ति यथास्थिति, विद्युत शक्ति के वितरक या विद्युत उत्पादक सम्मति के बिना, किसी ऐसे प्रयोजन के लिए, जिसके लिए कि शुल्क की कोई उच्चतर दर प्रभार्य है, उपभुक्त की जाने के हेतु या तो पूर्णतः या अंशतः उपयोग में लाई जाती है, तो बेची गई या प्रदाय की गई सम्पूर्ण विद्युत शक्ति पर उच्चतम दर से, जो कि लागू हो प्रभार लगाया जाएगा.

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजन के लिए—

(क) "मास" से अभिप्रेत है ऐसी कालावधि जो विहित की जाए और ऐसी कालावधि के विहित किए जाने तक, उससे अभिप्रेत है बिलिंग मास,

(ख) "खान" से अभिप्रेत है कोई ऐसी खान जिसको खान अधिनियम, 1952 (1952 का सं. 35) लागू होता है और उसके अंतर्गत है किसी खान में स्थित या उससे लगा ऐसा परिसर या मशीनरी जिसका उपयोग खनिज को चूरा करने (क्रशिंग), उसका प्रसंस्करण करने, अभिक्रियान्वयन करने या उसका परिवहन करने के लिए किया जाता हो,

(ग) विद्युत शुल्क की संगणना एक मास में टैरिफ की वास्तविक प्रतिशतता के आधार पर की जाएगी और 50 पैसे या उसके अधिक के किसी भी भाग को उसके निकटतम उच्चतर रुपयों तक पूर्णांकित किया जाएगा और 50 पैसे से कम के भाग को छोड़ दिया जाएगा.

(घ) "टैरिफ" से अभिप्रेत है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा उपभोग के विभिन्न प्रवर्गों पर समय-समय पर लागू की गई ऊर्जा की प्रति यूनिट दर.

(ङ) शक्ति संयंत्र की आक्जीलरी के उपयोग के लिए, विद्युत शुल्क की दरें सारणी की मद (5) (ख) में दर्शाये गये अनुसार होंगी,

(दो) उपधारा (2) को लोप किया जाए"

3. **3-अ अपवाद :** धारा 3 में किसी बात के होते हुए भी विद्युत ऊर्जा के संबंध में कोई शुल्क (डियूटी) भुगतान योग्य नहीं होगी— **धारा-3 अ अपवाद.**

(i) जिसे भारत सरकार को, उस सरकार के उपयोग हेतु बेचा या प्रदाय किया गया हो;

(ii) जिसे भारत सरकार को या किसी रेल कंपनी को भारत सरकार द्वारा प्रशासित किसी रेलवे के सन्निर्माण, अनुरक्षण या प्रचालन में उपयोग किया गया है;

(iii) जिसे राज्य सरकार को, उस सरकार के उपयोग हेतु बेचा गया या प्रदाय किया गया है;

(iv) जिसे किसी स्थानीय प्राधिकारी को सार्वजनिक मार्गों के बत्तियों (लैम्पों), बाजार के बत्तियों (लैम्पों) या ऐसे प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित सार्वजनिक रिसोर्ट के स्थल पर उपयोग हेतु बेचा या प्रदाय किया गया है;

(v) जिसे किसी कृषक को अपनी भूमि की सिंचाई हेतु सिंचाई पंप में या पैरा कुट्टी (chaff cutting) या अपनी भूमि के किसी उत्पाद के चूरा करने या उपचारित करने हेतु बेचा या प्रदाय किया गया हो;

(vi) छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम क्रमांक 46 सन् 1984 से विलोपित.

(vii) छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम क्रमांक 14 सन् 1965 से विलोपित.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.